बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञाप संख्या–2 / वि.60–117 / 2025 .... /　　　　　　　　पटना, दिनांक .... / 2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

विषय :– दिनांक–06 से 08 मार्च 2026 तक त्याग संस्था वैशाली द्वारा तीन दिवसीय सेमिनार सह उत्सव के आयोजन के निमित ₹ 3,00,000 / –(तीन लाख रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

2– राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–08 के अधीन बजट शीर्ष "2205–कला एवं संस्कृति–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–0101–कला और संस्कृति का संवर्द्धन विपत्र कोड–08–2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2002 कान्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार में होगा।

3– इस राशि की निकासी द्वारा जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, वैशाली द्वारा जिला कोषागार, वैशाली से की जायेगी तथा उक्त राशि का नियमानुसार भुगतान त्याग संस्था को की जायेगी।

4– इस राशि का व्यय वित्त संशोधन नियमावली 2024, बिहार कोषागार संहिता तथा वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में नियमानुकूल किया जायेगा।

5– जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा विषयांकित कार्यक्रम से संबंधित भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुकूल निर्धारित / प्रचलित दर के आधार पर किया जायेगा। साथ ही उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित परियोजना के अनुरूप किया गया है, इसकी समीक्षा कर तथा विपत्र के त्रुटिपूर्ण / अवांछित पाये जाने पर नियमानुसार कटौती की जा सकेगी। अगर राशि अवशेष बचे तो शीघ्र अथवा 31.03.2027 से पूर्व सरकारी खाते में वापस कर दिया जायेगा।

6– यह स्वीकृति वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।

7– उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–2 / वि०60–117 / 2025 के पृष्ठ–15 / टि0, दिनांक–08.07.2026 एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ–14 / टि0, दिनांक–06.07.2026 पर प्राप्त है।

8– वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
(रूबी)
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञापांक 219 /　　　　　　　　पटना, दिनांक 09/07/2026

प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, सांस्कृतिक कार्य / प्रशाखा पदा0–1 एवं 2 / सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना / सचिव, त्याग संस्था वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।